

फारम-VIII-ख

भूमि विकास अनुज्ञा के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या-68(3)

आप के आवेदन संख्या CN-393/22-23 तिथि 26/12/22 के संदर्भ में श्रीमति/श्री Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.



के लिए
(क) भूमि विकास की अभिन्यास (ले-आउट) योजना के लिए
(ख) भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए
पुर्णिया नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार

शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०
(सी०एस०) प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० होलिंग नं०
गाँव पुर्णिया मोहल्ला बेदर वार्ड नं० 45 के बाबत निम्नलिखित
शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क) भूमि का उपयोग अनन्य रूप से बोर्डिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठानकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.99.8.9.14 मीटर चौड़ाई के पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/ आयोजना प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पुर्णिया नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीनों वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति उस भूखंड, जिसके योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) कोई अन्य शर्त।

आदेशानुसार
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार

Tax Payer Copy / करदाता प्रति

प्रारूप
Municipal Corporation, Purnea, Bihar
नगर निगम, पूर्णियाँ, बिहार

FORM BMAR NO 15 (Rule 24 (1))
2028800एम0ए03आर0 प्रपत्र संख्या-15 (नियम-24 (1))

रसीद संख्या / Receipt No.

कर दाता का नाम / Tax Payer Name / श्री/श्रीमति / Sri/Smt. Private Party

सर्किल/ Circle Technical Building पति / Son of / Di/W/O Mr. Anshu Kumar Singh

चेक/ड्राफ्ट नम्बर 45 मुहल्ला/ Mohalla उडुवा होल्डींग नं०/ Holding No. 886

Cheque / Draft No. तिथि बैंक/

क्रम संख्या	एकाउन्ट कोड / Account Code	विवरण / Particulars	अवधि / (A/H/Q/M)	राशि / Amount
01	1401102	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस / Trade Licence Fees		
02	1401505	भवन अनुज्ञप्ति फीस / Building Licence Fees		
03	14014	विकास शुल्क / Development Fees		
04	1401301	जीवन/मृत्यु फीस / Birth & Death Fees		
05	1401004	स्टॉल किराया / Stall Rent		
06	140170000	केबल/ टावर शुल्क / Tower Cable Tax		
07	11011	होर्डिंग टैक्स / Advertisement		
08	1301099	सैरात शुल्क / Sairat Fees		
09	1401111	खतरनाक व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क / Dangerous Trade Licence Fees		
10.		विविध शुल्क / Miscellaneous Fees		
11.	140200	दंड / Penalty		
12.		छूट (-) / Rebate		
कुल योग				20,000.00

Rupees in words/ प्राप्ति राशि शब्दों में बीस हजार रुपये मात्र

तिथि 16/01/2023

Details - After Receiving Amount Cheque/D.D. / banker's Cheque will be valid

पूर्ण लेख :- चेक/ड्राफ्ट/ बैंक से चेक की वैधता राशि मिलने के बाद ही मानी जायेगी।

निर्देश :

- रसीद तीन प्रतियों में बनायी जायेगी।
- मुख्य रसीद भुगतान करने वाले को दी जायेगी रसीद की प्रति की सत्यापित एवं हस्ताक्षरित दूसरी संबंधित केशियर को दे दी जायेगी और तीसरी प्रति रसीद बही के साथ ही लगी रहेगी।

A-वार्षिक, H- अर्धवार्षिक, Q- त्रैमासिक, M- मासिक

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं नाम
सहित मोहर

Sign. of Receiver with
Name & Stamp